



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

क्रमांक 30 / स्था. / प्रशा. / 07

बिलासपुर, दिनांक 05.01.08

आदेश

निम्नलिखित परिवीक्षाधीन शिक्षकों की परिवीक्षावधि समाप्त होने पर उन्हें परिनियम 31-10(सी) के प्रावधानानुसार उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से धारित पद पर स्थायी किया जाता है।

विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान (स्ववित्तीय योजनान्तर्गत)

क्रमांक	नाम	पद	स्थायीकरण तिथि	विभाग
01.	श्रीमती भावना शुक्ला	व्याख्याता	10-08-03	इलेक्ट्रा.एण्ड कम्प्युनि.
02.	श्री पी.एस.श्रीवास्तव	व्याख्याता	02-09-03	इलेक्ट्रा.एण्ड कम्प्युनि.
03.	डॉ.मनीष श्रीवास्तव	व्याख्याता	11-08-03	कम्प्युटर इंजीनियरिंग
04.	डॉ.संदीप सिंह	व्याख्याता	21-08-03	गणित
05.	श्री नीरज चंद्राकर	व्याख्याता	12-11-04	केमिकल इंजीनियरिंग
06.	श्री अनु लाल महतो	सहायक कार्यशाला अधीक्षक	16-11-04	वि.वि.प्रौ.सं.
07.	डॉ.सुनील कुमार सिंह	व्याख्याता	07-05-05	रसायन
08.	श्री अरविंद शर्मा	व्याख्याता	07-05-05	एप्लाइड मेकेनिक्स
09.	श्री राजेन्द्र कुमार चौबे	व्याख्याता	07-05-05	सिविल
10.	डॉ.राकेश पाण्डेय	व्याख्याता	08-11-06	भौतिकी
11.	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	व्याख्याता	31-06-07	कम्प्युटर इंजीनियरिंग
12.	श्री निशांत बेहार	व्याख्याता	06-09-07	कम्प्युटर इंजीनियरिंग

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ0क्रमांक 31 / स्था. / प्रशा. / 07

बिलासपुर, दिनांक 05.01.08

प्रतिलिपि :-

- (1) कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
- (2) वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- (3) सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- (4) संबंधितों को सूचनार्थ।
- (5) निजी नस्ती।

C:PM5/Admn/73

कुलसचिव (प्रशा.)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक

/स्थापना/प्रशासन/2003

बिलासपुर, दिनांक

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10-4-2003 के विषय पद क्रमांक 16 में लिये गये निर्णयानुसार स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान में **सिविल इंजीनियरिंग** विषय के अनारक्षित **व्याख्याता** पद पर चयन हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए गुणानुक्रम में क्रमांक-01 पर चयनित **श्री राजेन्द्र कुमार चौबे** को व्याख्याता के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परीवीक्षावधि पर नियुक्त किया जाता है।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

इस मद में होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान से विकलनीय होगा।

इनकी सेवा शर्तें अध्यादेश क्रमांक 04 एवं परिनियम 31 के अंतर्गत संचालित होगी।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

/
कुलसचिव

पृ.क्र. 981 /स्थापना/प्रशासन/2003

प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 07-05-2003

1. **श्री राजेन्द्र कुमार चौबे**, व्याख्याता, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही सिविल सर्जन या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता/ पात्रता प्रमाण पत्र, यदि सेवा में हों तो नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. कुलपति / कुलसचिव जी के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति / कुलसचिव के अवलोकनार्थ/अभिलेख हेतु।
9. निजी नस्ती।


कुलसचिव